

उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-1 संख्या-1/15/2675/6-पु-1-15-54/2015.

लखनऊः दिनांकः 02 दिसम्बर, 2015

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन् 1861) की धारा-2 और धारा-46 की उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा-(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शिक्त का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पुलिस के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के चयन, पदोन्नित, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्निलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 भाग-1 सामान्य

	माग-। सामान्य
संक्षिप्त नाम और	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015
प्रारम्भ	कही जायेगी।
	(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2- उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद
	समाविष्ट हैं।
परिभाषाएं	3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा
	(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)
	अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4, सन् 1994) से है;
	(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य पुलिस अधीक्षक से है;
	(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित
	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड से है;
	(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
	(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत का संविधान के भाग-दो के
	अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;
	(च) "विभाग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग से है;
	(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
	(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
	(झ) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;
	(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा से है;
	(ट) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व



- किन्हीं पूर्ववर्ती नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उस सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्त गया हो;
- (ठ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है:
- (ड) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेस पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;
- (ढ) "चयन समिति" का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रुप से गठित चयन समिति से है;
- (ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अविध से है;
- (त) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

भाग-2 संवर्ग

	11 1 = 3131
सेवा का संवर्ग	4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी
	जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
	(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित

(=)	
होगी, जब तक कि उप नियम-	1 के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो:-
पद का नाम	पदों की संख्या

स्थायीअस्थायीयोगआरक्षी71,2391,51,0292,22,268मुख्य आरक्षी10,35842,44152,799

परन्तु यह कि,-

- (1) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनः अवधारित कर सकता है;
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थिगत रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या
- (3) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-3 भर्ती

भर्ती का स्त्रोत	5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों क पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी:-
	(1) पुलिस आरक्षी- पुलिस आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।



T	
	टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो
	पुलिस आरक्षी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं,
	उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।
	(2) मुख्य आरक्षी-
	(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को
	अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से
	भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होने
	भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस
	रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
	(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए
	निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को
	पूरा करते हों।
आरक्षण	6- अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये
	आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक
	रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये
	आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के
	अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त
	शासनादेशों के अनुसार होगा। परन्तु यह कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस
	सेवाओं के लिए अर्ह नही होंगे।

भाग-4 अर्हताएं

	<u>भाग-4 अहताए</u>
राष्ट्रीयता	7- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-
	(क) भारत का नागरिक हो, या
	(ख)तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,
	1962 के पूर्व भारत आया हो; या
	(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से
	पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया,यूगांडा और यूनाईटेड
	रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः
	परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये
	जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः
	परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि
	वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-
	पत्र प्राप्त कर लें:
	परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का
	प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे



	अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि
	वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।
	टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न
	तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में
	सम्मिलत किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा
	सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उसके पक्ष में जारी
	कर दिया जायेगा।
शैक्षिक अर्हता	8- आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास भारत में
	विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
	उसके समकक्ष अर्हता होना आवश्यक है।
	(* अधिसूचना संख्याः 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015, दिनांक 17.08.2017 द्वारा
	संशोधित)
अधिमानी अर्हताएं	9- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा
	जिसनेः-
	(एक) डीओईसीसी (DOEACC)/NIELIT सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण
	पत्र प्राप्त किया हो, या
	(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
	(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
	टिप्पणी:- ऊपर अंकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगें, किन्तु दो या उनसे अधिक
	अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में नियम 15 के अधीन अन्तिम चयन सूची में
	अधिमान प्रदान किया जायेगा।
	(* अधिसूचना संख्याः 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015, दिनांक 17.08.2017 द्वारा
	संशोधित)
आयु	10- आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि, जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती
	की रिक्तियां प्रकाशित की जाए उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरूष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की
	आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में
	उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो:
	परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के
	अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों
	की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये
चरित्र	11- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह
	सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस
	सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।
	टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ
	सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय



द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के
किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
12- ऐसा/ऐसी व्यक्तिः-
(क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/ की हो, जिसका/ जिसकी पहले से
जीवित पति/पत्नी हो; या
(ख)जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो,
सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी;
परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और
विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और
ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती
है।
(** अधिसूचना संख्याः 8/2018/592/6-पु-1-18-54-2015, दिनांक 18.06.2018 द्वारा
संशोधित)
13- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि
मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक
दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की
सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के
पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।
टिप्पणी:- चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के
लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक- नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट,
वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस(पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण,
जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा
ऐसी अन्य किमयों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का
भी परीक्षण करेगा।

भाग-5 भर्ती हेतु प्रक्रिया

रिक्तियों का	14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम
अवधारण	6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के
	लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को
	देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा। तत्पश्चात बोर्ड
	निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:-
	(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;
	(2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य
	रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;
	राजागर रागावार वता क गाव्यम रा विश्वायम श्रारा,



- (3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके; और
- (4) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

(* अधिसूचना संख्याः 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015, दिनांक 17.08.2017 द्वारा संशोधित)

आरक्षियों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15-

(1) आवेदन - पत्र एवं बुलावा पत्र

- (एक) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शूल्क नियत करेगा।
- (दो) अभ्यर्थी को केवल एक आवेदन-पत्र भरना होगा। बोर्ड, केवल आनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
- (तीन) आवेदन-पत्र भरने एवं बुलावा पत्र जारी किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (चार) सरकार, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर उसके लिए कोई कारण समुदेशित किए बिना रद्द कर सकती है।

(2) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जायं से, लिखित परीक्षा में सिम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरूचि, बुद्धिलिब्ध एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड, लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा।

टिप्पणी:-

- 1. लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 2. यदि बोर्ड लिखित परीक्षा, एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनाकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित करने के लिये विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा।

(3) दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

(क) उपनियम (2) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से दस्तावेजों



की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सिम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, योग्यता के आधार पर इस परीक्षण के लिये बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय अपने स्तर से करेगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक निम्न होंगे:-

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है: (एक) ऊँचाई:-

- (क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीनाः-

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और अन्यून 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी:- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई:-

- (क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) वजनः

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

- (ख) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक सिमति गठित की जायेगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो सिमित के अन्य सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- (ग) इस परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (घ) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है, तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन आपित्त दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त आपित्तयों के समाशोधन के लिए बोर्ड, प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा उक्त



नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः संचालित कराया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रतर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) शारीरिक दक्षता परीक्षण:-

- (क) दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।
- (ख) इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किमी0 की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किमी0 की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षण को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची-

- (क) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए, तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।
- (ख) बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।
- (ग) विभागाध्यक्ष, अनुमोदनोपरान्त, अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अध्यधीन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये इसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

टिप्पणी:- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

- (1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो अधिमानी अर्हता (नियम-9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, धारित करता हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही अधिमानी अर्हता की प्रस्विधा प्राप्त करेगा।
- (2) तथापि यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- (3) यदि ऊपर उल्लिखित एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।



	EMPOWER!
	(6) चिकित्सा परीक्षा
	(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा
	परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।
	(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा
	संचालित किये जाने के लिये, तीन (3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद
	गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त
	पैनल, पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा
	प्रपत्र'' के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।
	(ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय
	चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित
	किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि यह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके
	परिणाम की घोषणा के दिनांक के पश्चात् किसी दिनांक को दाखिल की जाती है।
	(घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक
	विशेषज्ञ होगा।
	(ड.) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय
	चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिये अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके
	विरूद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
	(च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिये विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी
	किये जायेंगे।
	(छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित
	किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियाँ अगले चयन के लिए अग्रनीत की जायेंगी।
	(* अधिसूचना संख्याः 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015, दिनांक 17.08.2017 द्वारा
	संशोधित)
चरित्र सत्यापन	16- नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन,
	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
	सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के
	चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
	अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया
	जायेगा।
मुख्य आरक्षी के	17- (1) मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी पुलिस के रूप में मौलिक रूप से
पद पर पदोन्नति	नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जायेगी:
की प्रक्रिया	(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को
	अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा
	मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम
	दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली
	7

हो।



- (ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नित के लिए मुख्य आरक्षी पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नित ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओंको पूरा करते हों।
- (2) पदोन्नति हेतु चयन समिति:-
- (क) बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु चयन समिति गठित की जायेगी।
- (ख) सिमिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नित के लिये चयन सिमित गिठत हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से किनष्ठ नहीं होगा। सिमित मेंउपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और सिमित के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।
- (ग) पदोन्नित हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।
- (ड़) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नित हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।
- (च) प्रोन्नित हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-6 प्रशिक्षण, नियुक्त, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18-(1) नियम-15 एवं 16 के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यधियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यधियों को इस निदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि उन्हें पत्र जारी किये जाने के दिनॉक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनॉक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन/नियुक्ति रद्ध कर दी जायेगी:

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत् व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

- (* अधिसूचना संख्याः 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015, दिनांक 17.08.2017 द्वारा संशोधित)
- (2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलत आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें



	व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन मे
	अवधारित की जाये या जैसी की उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय:
	परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और
	उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ
	समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति कोइस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति
	समझी जायेगी।
प्रशिक्षण	19 – (1)(क) आरक्षी के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित
	अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की
	जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान
	प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय
	सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त
	कर दिया जायेगा।
	(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः
	प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात
	प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की,नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकीसेवा समाप्त करने
	की कार्यवाही की जायेगी।
	(2) नियम-17 के अधीन पदोन्नित द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा
0.0	विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।
परिवीक्षा	20- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए
	परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
	(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की
	जाएगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।
	(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग अलग मामलों में
	परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक
	अवधि बढ़ाई जाय:
	अवधि बढ़ाई जाय:
	अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष
	अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।
	अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। (4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या
	अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। (4) यदि परिवीक्षा अविध या बढायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी
	अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। (4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो
	अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। (4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
	अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। (4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका
	परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अविध एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थित में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। (4) यदि परिवीक्षा अविध या बढायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
	परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अविध एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थित में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। (4) यदि परिवीक्षा अविध या बढायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या



	संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
स्थायीकरण	21-(1) नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा
	अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा।
	यदि,-
	(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो, और
	(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और
	(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।
	(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के
	उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप
	नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि
	सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
ज्येष्ठता	22- सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित
	की जायेगी:-
	1- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के भर्ती आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण
	(क) एक चयन के माध्यम से नियुक्त समस्त आरक्षियों की ज्येष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण
	संस्थानों में प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
	(ख) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।
	टिप्पणी- पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आने वाले समस्त आरक्षियों के प्रशिक्षण में प्राप्त अंक
	न उपलब्ध होने पर उनकी पदोन्नति बैचवार निम्न रीति के अनुसार की जाएगी:-
	(1) भर्ती के दिनांक के वर्ष को ''वर्ष (बैच)'' माना जायेगा।
	(2) पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ
	होंगे।
	(3) वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में अंकित आरक्षियों के नामों के क्रम से किसी
	प्रकार की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जायेगी।
	2- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के पश्चात भर्ती आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण
	(1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि
	से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड
	अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने
	की तिथि से है।
	(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती आरक्षियों के चयन को एक पृथक चयन माना
	जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक
	वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।
	(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों एवं कुशल खिलाड़ियों की नियमावली-
	2011 के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा।
	इस प्रकार से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में
	प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से



अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

3- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के प्रोन्नित प्राप्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण

- (1) मुख्य आरक्षी पुलिस की वरिष्ठता उनके मुख्य आरक्षी पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।
- (2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार विरष्ठता निर्धारित की जायेगी।
- (3) यदि एक से अधिक मुख्य आरिक्षयों की, मुख्य आरिक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरिक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर विरष्ठता निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरिक्षी, ज्येष्ठ होगा।
- (4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

4- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के पश्चात प्रोन्नित प्राप्त मुख्य आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण

पदोन्नित के आधार पर नियुक्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये मुख्य आरिक्षयों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक सवंग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरिक्षयों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है:

परन्तु यह कि आरक्षी के पद से मुख्य आरक्षी के पद पर बैचवार पदोन्नति की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी:-

- (1) दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी इसके पश्चात् पदोन्नित प्राप्त करने वाले मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होगें।
- (2) पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नित हेतु उपयुक्त पाये जाये वे पश्चात्वर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नित हेतु उपयुक्त पाये जाये से ज्येष्ठ होंगे।
- (3) पदोन्नित पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच)" समान है, उनमें से जिस आरक्षी की आरक्षी पद पर नियुक्ति की तिथि पूर्व की होगी वह पश्चात्वर्ती तिथि में आरक्षी पद पर नियुक्त हुये आरक्षी से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होंगे।
- (4) पदोन्नित पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच)" समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्य



आरक्षी के प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

- (5) पदोन्नित पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच)" समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो तथा मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के भी समान होने की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता वाह्य प्रशिक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर तथा वाह्य प्रशिक्षण के अंक भी समान होने की दशा में उनके जन्मितिथ को वरीयता देते हुये निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी ज्येष्ठ होगा।
- 5- विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण यथावत् बना रहेगा।
- **6-** उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

भाग-7 वेतन इत्यादि

_				
a	J	1	н	ान

23- वेतनमान

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए है:

पद का नाम	वेतनमान
आरक्षी	₹0 5200-20200 ਸ਼ੇਤ पे-2000
मुख्य आरक्षी	रु0 5200-20200 ਸ਼ੇਤ पे- 2400

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अविध पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीवीक्षा अविध बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अविध की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अविध में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अविध बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अविध की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अविध में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।



भाग-8 अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	25- सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का	26- ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों, विनियमो एवं
विनियमन	आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के
	अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।
सेवा की शर्तों में	27- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों
शिथिलता	की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले
	में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते
	हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन
	रहते हुये, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए
	आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
व्यावृत्ति	28- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतें पर नहीं
	पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के
	अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियो के
	लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्टः 1, 2 एवं 3 को निकाल दिया गया है।

(* अधिसूचना संख्याः 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015, दिनांक 17.08.2017 द्वारा संशोधित)

देबाशीष पण्डा प्रमुख सचिव, गृह

नोटः-

- (1) * अधिसूचना संख्याः 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015, दिनांक 17.08.2017 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) निमयावली, 2017)
- (2) ** अधिसूचना संख्याः 8/2018/592/6-पु-1-18-54-2015, दिनांक 18.06.2018 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) निमयावली, 2018)



Uttar Pradesh Shasan Grih (Police) Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 1/15/2675 /6-pu-1-15-54/2015 dated: 02 December, 2015.

NOTIFICATION

Miscellaneous No. 1/15/2675 /6-pu-1-15-54/2015 Lucknow Dated: 02 December, 2015

In exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 read with sub-sections (3) of the said section and section-2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules or orders issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. of Constables and Head Constables of the Police in Uttar Pradesh Police Force:-

THE UTTAR PRADESH POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE SERVICE RULES, 2015.

PART-I-GENERAL

Short titles and	1- (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Services Rules 2015.		
anu	Head Collstable Services Rules 2013.		
commence-	(2) They shall come into force from the date of their publication in the		
ment	Gazette.		
Status of	2- The Uttar Pradesh Constable and Head Constable Service is a service		
the Service	comprising Group 'C' posts.		
Definitions	3- In these rules unless there is anything repugnant in the subject or		
Deminions			
	context;		
	(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for		
	` '		
	Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes)		
	Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994) as amended from time to time.		
	(b) 'appointing authority' means the Superintendent of Police;		
	(A)		
	(c) 'Board' means the Uttar Pradesh Police Service Recruitment and		
	Promotion Board, established in accordance with Government		
	orders issued from time to time in this regard;		
	(d) 'Constitution' means the Constitution of India;		
	(c) (C'') (T. 1'-)		
	(e) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a		
	citizen of India under Part II of the Constitution;		



(f)	'Department'	means the De	partment of	Police 1	Uttar F	Pradesh:

- (g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
- (h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
- (i) 'Head of the Department' means the Director General of Police, Uttar Pradesh:
- (j) 'Service' means the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service;
- (k) 'Member of Services' means a person appointed under these rules or any previous rules before the Commencement of these rules and has been substantively appointed to a post in the service.
- (l) 'Other Backward Classes of citizen' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act;
- (m) 'Police Headquarters' means the Headquarters of the Director General of Police, Uttar Pradesh at Lucknow or Uttar Pradesh Police Headquarters at Allahabad.
- (n) 'Selection Committee' means the Committee duly constituted by the Board to select candidates for appointment to be post in the Service:
- (o) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with these rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
- (p) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year;

PART-II- CADRE

Cadre of service	4- (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.			
	(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below:			
	Name of post Number of Posts			
		Permanent	Temporary	Total
	1. Constable	71,239	1,51,029	2,22,268
	2. Head Constable	10,358	42,441	52,799



Provided that,

- (i) the Head of the Department may re-determine the number of posts of various units within the overall sanctioned allocation.
- (ii) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without any kind of claim to compensation, or
- (iii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART - III - RECRUITMENT

Source of recruitment

- **5-** Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-
- (1) Police Constable-hundred percent posts of Police constables shall be filled by direct recruitment through the Board.

Note:- Dependants of personnel of police department deceased during service who apply for the post of Police Constable in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government.

- (2) Head Constable-(a) hundred percent of the total number of sanctioned posts of Head Constable shall be filled by promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed constables of police who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.
- (b) such Constables of Police promoted to ex-cadre posts of Head Constable Police shall also be eligible for promotion under sub section (a) who fulfill the requirements.

Reservation

6- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the provisions of the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. The reservation of the National/State level sportsmen shall be in accordance with the Government Orders in force at the time of recruitment provided that physically handicapped persons will not be eligible for police services.



PART-IV-QUALIFICATIONS

Nationality	7- A candidate for direct recruitment to a post in the service must be
	(a) a citizen of India; or
	(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
	(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:
	Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;
	Provided further that a candidate belonging to the category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh.
	Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.
	Note:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.
Academic Qualificat- ion	8- A candidate for direct recruitment to the post of Constable Civil Police must possess the qualification of 12 th standard by a Board established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.
	(* Amended by notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54/2015, Dated, 17.08.2017)
Preferential Qualificat-	9- Other things being equal a candidate for direct recruitment shall be given preference who has:-
ion	(i) obtained "O" Level Certificate in Computer from DOEACC/NIELIT Society;
	(ii) Has served for minimum of two years in Territorial Army; or



	(iii)Has obtained a 'B' Level Certificate of National Cadet Corps;
	Note: Above noted preferential qualification shall carry no marks, but in the event of two or more candidates having equal marks, candidates with preferential qualifications shall be given preference in final selection list under rule 15.
	(* Amended by notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54/2015, Dated: 17.08.2017)
Age	10- For direct recruitment to the post of constable it is necessary that male candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 22 years and female candidate must have attained the age of 18 year and must not have attained the age of 25 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised. Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other
	categories may be greater by such number of years as may be specified in the Act and Government Orders applicable at the time of the notification of the vacancies by the Board.
Character	11- The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.
	Note :- Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or any State Government shall be ineligible for appointment to the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital	12- No person-
Status	(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
	(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.
	Shall be eligible for appointment to Service:
	Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person form the operation of this rule.
	(** Amended by notification no. 8/2018/592/6-pu-1-18-54/2015,



	Dated, 18.06.2018)
Physical fitness	13- No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board.
	Note:- The Medical Board shall examine the candidate for any physical standards prescribed for height, chest and weight measurement as the case may be and deficiencies such as Knock Knee, bow-legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, colour blindness (total or partial), hearing test comprising of Rinne's Test, Webber's Test and tests for vertigo, speech defects etc., and such other deficiencies as may be notified by the State Government from time to time.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

	THE THE CEDURE FOR RECRUITMENT			
Determinat-	14- The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the			
ion of	Department the number of vacancies to be filled during the course of the year			
vacancies	of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates			
	belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under			
	rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies to			
	the Board and also to the Government. Subsequently the Board shall notify			
	the vacancies in the following manner:-			
	(i) by issuing advertisement in daily Hindi and English newspapers having wide circulation;			
	(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;			
	(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange; and			
	(iv) by other means of mass communication.			
	(* Amended by notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54/2015, Dated: 17.08.2017)			
Procedure	15- (a)(1) Application Form and Call Letter:-			
for Direct Recruitment to the post	(i) The Head of the Department, in consultation with the Board, shall fix an application fee for any recruitment.			
of Constable	(ii) A candidate shall fill only one Application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one form, may be rejected by the Board.			
	(iii) Detailed procedure of filling the Application Form and issuance of call letter shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.			
	(iv) The Government may change the number of vacancies for any recruitment			



at any time before the examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason therefor.

(2) Written Examination-

Candidates, whose applications are found correct, shall be required to appear in written examination. In the written examination, the Board will keep one objective type question paper. The written examination will be of 300 marks and it shall have questions from General Knowledge, General Hindi, Numerical and Mental Ability, Mental Aptitude/I.Q. and Reasoning Ability.

Candidates will be awarded negative marks for wrong answers in the written examination. The detailed syllabus for the examination will be decided by the Board and will be displayed on its own website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question papers or through computer based written examination system.

Note:-

- 1- Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.
- 2- If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question papers, then the Board may, if neccessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examinations at its level and will publish it in its advertisement.

(3) Scrutiny of Documents and Physical Standard Test-

- (A) Candidates found successful in written examination under sub-rule (2) shall be required to appear in Scrutiny of Documents and Physical Standard Test. Keeping in view the total number of vacancies, the Board shall decide at its own level, the number of candidates on the basis of merit to be called for this test. Physical Standards for candidates are as follows:-
- (I) Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

(i) Height:-

- (aa) for General/Other Backward Classes and Scheduled Castes male candidates minimum height should be 168 centimetre.
- (bb) for Scheduled Tribes male candidates minimum height should be 160 centimetre.

(ii) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward Classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimetres without expansion and at least 84 centimetres with expansion; and for the candidates belonging to the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion.



Note:- Minimum 5 centimetre chest expansion is essential.

(II) Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(i) Height:-

- (aa) for General/Other Backward Classes and Scheduled Castes female candidates minimum height should be 152 centimetre.
- (bb) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 147 centimetre.

(ii) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates.

- (B) For conducting scrutiny of documents and Physical Standard Test, a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Suprintendent of Police nominated by the District Suprintendent of Police will be the member. The other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Suprintendent of Police if requested by the Board.
- (C) Detailed procedure for this examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.
- (**D**) If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he/she may file an objection on the same day after the test. For clearing all such objections; the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the Committee in the presence of the said nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit for recruitment and no further appeal will be entertained in this regard.

(4) Physical Efficiency Test-

- (a) Candidates found successful in Scrutiny of Documents and PhysicalStandard Test will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature.
- (b) For qualifying in this physical efficiency test it shall be necessary for male candidates to complete 4.8 km. run in 25 minutes and for female candidates to complete 2.4 km. run in 14 minutes. Those candidates who do not complete the run within prescribed time shall not be eligible for recruitment.
- (c) Detailed procedure for Physical Efficiency Test shall be determined by Board and will be displayed on its own website. For conducting this test a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Suprintendent of Police nominated by the District Suprintendent of Police will be a member. The other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Suprintendent of Police if required by the board.



(5) Selection and Final Merit List:-

- (a) From amongst the candidates found successful in Physical Efficiency Test, the Board shall prepare a select list of each category of candidates, as per order of marks obtained by each candidate in written examination, keeping in view the reservation policy and send it to the Head of the Department and also publish it on the Board's website.
- **(b)** No waiting list shall be prepared by the Board.
- (c) The Head of the Department shall, after approval, send it to the Appointing Authority for issuing appointment letters subject to the Medical Examination and Character Verification of the candidates.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid in following order:-

- (1) Such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule-9). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.
- (2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.
- (3) If the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

(6) Medical Examination-

- (a) The candidates whose names figure in the select list will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority.
- (b) The Appointing authority shall request the Chief Medical Officer of the concerned district to constitute a Medical Board consisting of panel of 3 doctors for conducting the medical examination in consultation with the Director General of Medical Health. The panel will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by the Head of Department of police.
- (c) Any candidate not satisfied with his Medical Examination, may file an appeal before the Divisional Medical Board on the day of examination itself. Any appeal with regard to Medical Examination will not be considered if it is filed on any date after the date of his Medical Examination and declaration of its result thereof.
- (d) The Medical Board constituted for appeal shall have an expert relating to Medical deficiency of the applicant.
- (e) The decision of the Divisional Medical Board on the appeal filed by the candidate about his/her medical examination shall be final and binding on the candidate and no appeal against it will be entertained.
- (f) The detailed instructions for conducting Medical Examination will be issued



	by the Director General of Police.
	(g) The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.
	(* Amended by notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54/2015, Dated, 17.08.2017)
Character Certificate Verification	16- Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing of appointment letter and before sending the candidates for training. Ordinarily character verification shall be completed within a month. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.
Procedure for promotion to	17- The appointment to the post of the Head Constable shall be made from amongst the eligible personnel substantively appointed as constable Police according to the following policy:-
the post of Head Constable	(a) 100 percent of the total sanctioned posts of the Head Constable shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed constables police who have completed seven years of service including probation period on the first day of the year of recruitment.
	(b) Such constables Police promoted to ex-cadre post of Head Constable Police shall also be eligible for promotion to the posts of Head Constable Police under clause (a) who fulfill the qualifications.
	(2) Selection Committee for Promotion:-
	(a) The selection committee for promotion shall be constituted by the Board.
	(b) The Chairman of the committee will be nominated by the Board and shall not be junior in rank than the Appointing Authority for the promotional post for which the selection committee is constituted. One member of appropriate rank shall be nominated by the Head of the Department in the committee and remaining members of the committee shall be nominated by the Board according to prevalent Government Orders.
	(c) Undisputed seniority list for promotion shall be made available by the Police Head Quarters to the Board.
	(d) The Selection Committee shall submit the result of successful candidates along with its recommendation to the Board. The Board shall submit the list of selected candidates along with its recommendation to Head of the Department. The list shall not be more than the notified vacancies.
	(e) The Head of the Department shall after his approval send the List to



Appointing Authority who will issue final orders for promotion.

(f) After approval by the Head of Department, Final list of candidates selected for promotion shall be displayed by the Board on its website and U.P. Police website.

PART VI - TRAINING, APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18- (1) Subject to the provisions of rules 15 and 16, the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the same order in which they stand in the list prepared **under rule 15**. The appointing authority shall issue the appointment letter to the candidates with the direction that they should report for service/training within one month of the date of issue of the letter or any date specified for this purpose in the appointment letter. If he does not do so his selection/ appointment shall be cancelled.

Provided that any person appointed to a post in the service prior to the commencement of these rules and is working on the post, shall be deemed to have been substantively appointed under these rules.

(* Amended by notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54/2015, Dated: 17.08.2017)

(2) If more than one order of appointments are issued in respect of any one selection under rule-17, then a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Provided that any person appointed before the commencement of these rules to a post in the service and working on that post shall be deemed to have been substantively appointed under these rules and such substantive appointment shall be deemed to have been made under these rules.

Training

19- (1) (a) The candidates finally selected to the posts of constable under rules 15 and 16 shall be required to pass the training prescribed by the Head of the Department. Provisions of Police Training College Manual shall be effective on the cadets during the basic training. If the candidate finally selected for basic training does not report for training within the prescribed time limit then his selection/candidature shall be cancelled.

(b) Re-examination of the cadets failing in basic training shall be organized by the Head of the Department after doing supplementary training. The proceeding for termination of service of candidates failing in examination of training after supplementary training shall be done by the



	Appointing Authority.
	(2) The candidates appointed by promotion under rule 17 shall be required to complete the training prescribed by the Head of the Department.
Probation	20- (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
	 (2) During the probation period a probationer shall be required to undergo such training as may be determined by the Head of Department. (3) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted; Provided that, except in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years. (4) If it appears to appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub- rule (4) shall not be entitled to any compensation. (6) The appointing authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Confirmation	21- (1) Subject to the provisions of rule 20 a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if;
	(a) he has successfully undergone the prescribed training; and(b) his work and conduct is reported to be satisfactory; and(c) his integrity is certified.
	(2) Where in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of the said rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.
Seniority	22- Seniority of persons substantively appointed to any posts of service shall be determined as follows:-
	1- Determination of seniority of constables recruited before December 02,



2008

- (a) Seniority of all constables appointed by means of a single selection shall be determined on the basis of the marks obtained by them in training after selection in training institutions;
- (b) Constables appointed by previous selection shall be senior to constables appointed by subsequent selection.
 - Note- If marks obtained in training are not available for all the constables coming within the purview of promotion then promotion shall be done batch wise according to the following policy:-
- (1) Year of the date of recruitment shall be considered as "Year (Batch)"
- (2) Constables appointed in previous "Year (Batch)" shall be senior to constables appointed in subsequent "Year (Batch)".
- (3) No seniority shall be determined from the order in which the names of constables appear in the list prepared year wise (batch wise)
- 2- Determination of seniority of constables recruited after December 02, 2008
- (1) Seniority of Constable appointed by any type of selection shall be determined from their date of selection. Here date of selection means the date on which the head of department approves the select list sent by the Board after the completion of recruitment process.
- (2) Selection of constables by the Board by means of direct recruitment shall be considered a separate selection. Inter-se seniority of constables recruited in a single selection under direct recruitment shall be according to the order of the final select list issued by the Board.
- (3) Constables recruited under the dependents of deceased category and constables recruited under the Skilled Sportsmen Rules-2011 shall be considered a separate selection of direct recruitment. The inter-se seniority of constables so recruited shall be determined according to the percentage of marks obtained by them in training after selection in training institutions. In one training session if percentage of marks obtained in training institutions are same for more than one candidate then senior in age according to date of birth shall be senior in determination of inter-se seniority. In case of percentage of marks and date of birth being same the seniority shall be determined according to the alphabetical order of the names in High School Certificates in English.
- (4) Constables appointed by previous selection shall be senior to constables appointed by subsequent selection.
- 3- Determination of seniority of head constables promoted before



December 02, 2008

- (1) Seniority of Head Constable Police shall be determined from the date of joining as Head Constable of Police
- (2) If date of joining as Head Constable is same for more than one Head Constables then seniority shall be determined according to the date of joining as Constable.
- (3) If date of joining as Head Constable and date of joining as Constable is same for more than one Head Constables then seniority shall be determined according to the date of birth the Head Constable senior in age shall be senior.
- (4) If date of joining as Head Constable, date of joining as Constable and date of birth is same for more than one Head Constables then seniority shall be determined according to the alphabetical order of the names in High School Certificates in English.

4- Determination of seniority of head constables promoted after December 02, 2008

Seniority of Head Constables appointed on the basis of promotion shall be determined from their date of selection. Inter-se seniority of Head Constables appointed on same date of selection shall be according to their seniority in their feeder cadre and head constables selected in previous year shall be senior to head constables selected in subsequent year. Here date of selection means the date on which the head of department approves the select list sent by the Board after the completion of recruitment process.

But in case of batch wise promotion from the post of constable to head constables the seniority on the post of head constable shall be determined as per the following policy:-

- (1) Head constables substantially appointed before December 02, 2008 shall be senior to those head constables promoted subsequently.
- (2) Constables appointed in previous "Year (Batch)" who are found suitable for promotion shall be senior to constables appointed in subsequent "Year (Batch)".
- (3) Amongst promoted constables having same "Year (Batch)", the constable whose date of appointment to the post of constable is previous shall be senior as head constable to the constable whose date of appointment to the post of constable is subsequent.
- (4) Amongst promoted constables having same "Year (Batch)" and whose date of appointment to the post of constable is also same, their inter-se seniority on the post of head constable shall be determined according to



the percentage of total marks obtained in training as Head constable.

- (5) Amongst promoted constables having same "Year(Batch)", same date of appointment to the post of constable and same percentage of total marks obtained in training as Head constable, their inter-se seniority on the post of head constable shall be determined according to the percentage of marks obtained in outdoor training as Head constable and in case of that being equal it shall be determined according to the date of birth the Head Constable senior in age shall be senior.
- 5- The seniority in some special case determined according to a previously determined policy shall remain the same.
- 6- Despite the aforesaid if new facts come to light about seniority determination or in case some dispute arises then it shall be resolved by the head of department.

PART-VII-PAY ETC.

Scales of Pay	23-(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.(2) The scales to pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:
	Name of post Scales of pay
	Constable Rs. 5200-20200 Grade Pay - 2000
	Head Constable Rs. 5200-20200 Grade Pay - 2400
Pay during	24- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the
Probation	contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service shall be allowed his first increment in the time scale when he has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment when he has completed the probationary period and is also confirmed:
	Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules: Provided that if period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (3) The pay during probation of a person who was already in permanent



Government Service shall be regulated by the relevant rules,
applicable generally to Government Servants serving in connection
with the affairs of the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing	25- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post in the service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other matters	26- In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders persons appointed to the post in the service shall be governed by the rules, regulations and orders made under the Police Act.
Relaxation from the conditions of service	27- Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the post in the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.
Savings	28- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

In the said rules, the Appendees- 1, 2 and 3 has been omitted.

(* Amended by notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54/2015, Dated: 17.08.2017)

Debasish Panda Pramukh Sachiv, Grih

NOTE:

- (1) * Amended by notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54/2015, Dated, 17.08.2017 (Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (First Amendment) Rules, 2017)
- (2) ** Amended by notification no. 8/2018/592/6-pu-1-18-54/2015, Dated, 18.06.2018 (Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (Second Amendment) Rules, 2018)